कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 972 / 2020 / 10–11 / 648 भोपाल, दिनांक 11-2-21

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **खण्डवा जिले के अन्तर्गत तहसील पुनासा में न्यायालय के विभिन्न अनुभागों के निर्माण हेतु ग्राम पुनासा में 0.35 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB072/2020-BHO दिनांक 30.11.2020

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

1– बिन्दु क्रमांक 01 के पालन में लेख है कि तहसील पुनासा में न्यायालय भवन एवं कर्मचारियों के आवासगृह के निर्माण हेतु ग्राम दौलतपुरा, तहसील पुनासा में खसरा नंम्बर 40 / 2, रकबा 1 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

उक्त भूमि के ठीक सामने वाली वर्तमान वन भूमि (खसरा नंबर 183, रकबा 5.67 हेक्टेयर में से 0.350 हेक्टेयर भूमि) न्यायालय के विभिन्न अनुभागों के निर्माण हेतु उपयुक्त होने से उक्त भूमि का चयन किया गया है।

उक्त भूमि के आस–पास अन्य राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने से ही खसरा नंबर 183, रकबा 5.67 हेक्टेयर में से 0.350 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है।

2– बिन्दु क्रमांक 02 के पालन में लेख है कि न्यायालय के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न अनुभाग या नजारत, प्रतिलिपि, अभिलेखागार, मुद्देमाल, कम्प्यूटर कक्ष आदि की भी आवश्यकता होती है। उक्त अनुभागों के निर्माण हेतु भी भूमि की आवश्यकता है, जो न्यायालय के लिए उपलब्ध भूमि में से अनुभागों का निर्माण किया जाना संभव नहीं है।

3– बिन्दु क्रमांक 03 के पालन में खण्डवा वनमण्डल के परिक्षेत्र पुनासा के कक्ष क्रमांक 150 में 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्ष 2021–22 से 2031–32 तक तैयार की गई है, जो कि संलग्न प्रेषित है। वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file एवं हार्डकॉपी संलग्न है।

4– बिन्दु क्रमांक 04 के पालन में कलेक्टर खण्डवा ने अपने पत्र दिनांक 15.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) से लेख किया है कि तहसील पुनासा के राजस्व निरीक्षक मण्डल मांधाता के पटवारी हल्का नंबर 5 गोदड़परा में राजस्व विभाग की शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है।

–2–

5– बिन्दु क्रमांक 05 के पालन में लेख है कि न्यायालय के विभिन्न अनुभागों के निर्माण हेतु ग्राम पुनासा में 0.350 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के संबंध में प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि0मी0 की परिधि में आने वाले राजस्व वनभूमि (छोटे–बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि) की जानकारी, मानचित्र एवं KML file सी0डी0 में संलग्न है।

6– बिन्दु क्रमांक 06 के पालन में कलेक्टर खण्डवा ने अपने पत्र दिनांक 23.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) से लेख किया है कि ग्राम पुनासा स्थित शासकीय भूमि तहसील न्यायालय पुनासा के विभिन्न अनुभागों जैसे रिकार्ड रूम, मालखाना, नजारत, प्रतिलिपि आदि के निर्माण हेतु आवंटित की जाती है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

10/2/2021

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 972 / 2020 / 10–11 / 649 भोपाल, दिनांक 11-2-21

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा, सिविल लाईन, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10/2/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल